श्री नन्दसिंह रावावत एड.

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	138/2018 विनय परासर / शीलादेवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/02/18	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फर्द दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत नकल आदेशिकाऐ जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में धारित की गई हैं कि ओर आकर्षित कर बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में सर्वप्रथम दिनांक 29/4/2011 को एकपक्षीय आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा इस संदर्भ का जारी किया गया था कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी दिनांक 17/5/2011 तक कायम रखी जावे किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के उपस्थित होने के पश्चात भी निरन्तर दिनांक 29/4/2011 को पारित एकपक्षीय आदेश की मियाद बढाई जा रही है। अभिभाषक प्रार्थी / अपीलार्थी ने फर्द दस्तावेज के साथ प्रस्तुत नकल	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	132/2018 विनय पराशर / शीलादेवी — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2	

वाद पत्र की ओर आकर्षित कर बहस में निवेदन किया कि यह तथ्य वादी द्वारा अपने वाद में स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत आराजी में वादिया का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-1 का 1/3 हिस्सा है एवं प्रश्नगत आराजी को वादिया ने मौके पर मनवर अनुसार बाँट रखा है तथा अपने हिस्से मे आई भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी/अपीलार्थी प्रतिवादी सं. 1 से वाद मे अंकित उसके हिस्से 1/3 का क्रेता है किन्तु वादीया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे सम्पूर्ण आराजी हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त कर [struck out] प्रार्थी के क्रयशुदा आराजी का उसके हक मे नामान्तकरण खुलने से वंचित कर रखा है जिसकी की वह क्रय करने के पश्चात अधिकारी है एवं अब स्वयं वादिया उक्त आराजी को बेचान पर आमदा है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने हमारा ध्यान आदेश 39 नियम 3-ए जाप्ता दीवानी की ओर आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि न्याय का यह आवश्यक सिद्धांत उक्त धारा के तहत दिया हुआ है कि जो न्यायालय जिसके समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई-निषेधाज्ञा लम्बित हो, वह उसका निस्तारण 30 दिवस की अवधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
132/2018	विनय पराशर / शीलादेवी	3

मे आवश्यक रूप से करे किन्तु इस प्रकरण मे दिनांक 29/4/2011 को प्रथम बार पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश का निस्तारण आज दिनांक तक नही किया गया है जो उक्त आदेश 39 नियम 3 ए का सीधे तौर पर उल्लंघन है जिससे ही आदेश एवं अपील त्रुटिपूर्ण हो जाता है। अत: अपीलाधीन आदेश दिनांक 29/4/2011 को निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29/4/2011 को प्रथम बार उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था, जिसके पश्चात दिनांक 09/9/2011 को अप्रार्थी के उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भी आज दिनांक तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण नही किया गया है जबकी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की मियाद निरन्तर बढाई जाती रही है। यहाँ यह उल्लेख करना भी

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

(02)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बिनय पराशर / श्रीलादेवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	132/2018	

आवश्यक है कि वादिया द्वारा अपने वाद मे स्वयं ने प्रतिवादी संख्या-1 का प्रश्नगत आराजी मे 1/3 हिस्सा स्वीकारा है बल्कि यह भी स्वीकारा गया है कि मौके पर मनबट के आधार पर दोनो पक्ष काबिज काश्त है ऐसे मे प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा अपने हिस्से 1/3 के बेचान को गलत नही ठहराया जा सकता एवं न ही क्रेता को उसके उपयोग से वंचित रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम बार अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने के पश्चात निरन्तर सात वर्षो तक प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही करना आदेश 39 नियम 3 ए के विपरित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/4/2011 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाती है तदनुसार चूंकी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अत: अपील इस स्तर पर ही उपरोक्त अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर दोनो पक्षो की सुनवाई कर 30 दिवस की अवधि मे गुणावगुण पर निस्तारण करे। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर